

न्यायालय जिला कलक्टर, जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं० 06/2025 (GCMS 2025/6)

अपीलांत	बनाम	रेस्पोजेण्टगण
1. श्री मोतीसिंह पुत्र जेठमालसिंह 2. श्री चनणसिंह पुत्र जेठमालसिंह जाति राजपूत निवासी ख्याला तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।		1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, फतेहगढ़।

उपस्थित :

1. श्री पूंजराज सिंह अधिवक्ता अपीलांत
2. ना० तहसीलदार (पैरोकार राज) रेस्पोजेण्ट

दिनांक:- 20.01.2026

--:निर्णय:-

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अपील के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी द्वारा संवत् 2081 में ग्राम ख्याला के खसरा नम्बर 4, 5, 18, 19, 146, 147 व 181 में रकबा क्रमशः 148-10, 156-05, 137-03, 13-3, 77-00, 6-16, 89-00 बीघा भूमि किस्म बंजड़ बारानी में रकबा क्रमशः 30, 10, 20, 10, 20, 06 व 80 बीघा भूमि पर अपीलांत द्वारा तारबंदी कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहगढ़ द्वारा अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलांत को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बगैर प्रकरण संख्या 40/2024 अन्तर्गत धारा 91(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 30.09.2024 को निर्णय पारित कर अपीलांत को अतिक्रमी घोषित कर तीन माह का सिविल कारावास और वार्षिक लगान रूपये 8. 80/- का पचास गुणा 440/- रूपये का जुर्माना आरोपित किया। अपीलांत का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत के विरुद्ध त्वरित गति से कार्यवाही कर निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्य संबंधी बड़ी भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को जवाब एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। ग्राम ख्याला के खसरा नम्बर 108, 178, 179, 182, 190, 210, 232, 236, 6, 60, 61, 62, 78 में रकबा क्रमशः 1.0679, 3.3331, 3.7942, 6.5772, 4.1340, 9.9992, 3.1551, 2.265, 6.4235, 0. 0566, 0.1133, 6.9817, 6.0513 हैक्टेयर कुल 53.0513 हैक्टेयर भूमि अपीलांत की खातेदारी भूमि है और खसरा नम्बर 4, 5, 18, 19, 146, 147 व 181 में रकबा क्रमशः 148-10, 156-05, 137-03, 13-3, 77-00, 6-16, 89-00 बीघा भूमि अपीलांत की खातेदारी भूमि के लगती हुई राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांत के खातेदारी खेत का कोई सीमाज्ञान नहीं किया गया है इसलिए अपीलांत ने मौके पर फसल की सुरक्षा के लिए तारबंदी करवायी थी। अपीलांत द्वारा राजकीय भूमि पर कोई काश्त नहीं की गई है। अपीलांत ने अपील में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर न देकर दिनांक 30.09.2024 को एक तरफा निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलांत द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर निवेदन किया गया है कि अपीलांत को उचित पारित निर्णय की जानकारी होने तथा इसकी नकल प्राप्ति के 30 दिन के भीतर



Page 1 of 2

प्रताप कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर, जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं० 06/2025 (GCMS 2025/6)

अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांत द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।
रेस्पोजेण्ट तहसीलदार फतेहगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार न्यायालय तहसीलदार फतेहगढ़ के प्रकरण संख्या 48/2024 में ग्राम ख्याला के खसरा नम्बर 4, 5, 18, 19, 146, 147 व 181 में रकबा कमश 30, 10, 20, 10, 20, 06 व 80 कुल 176 बीघा भूमि पर अतिक्रमी मोतीसिंह पुत्र जेठमालसिंह व चनणसिंह पुत्र जेठमालसिंह के विरुद्ध जुर्माना और वेदखली एवं कारावास का निर्णय न्यायालय तहसीलदार, फतेहगढ़ द्वारा दिनांक 30.09.2024 को पारित किया गया था। अतिक्रमी द्वारा उक्त राजकीय भूमि को अभी तक खाली नहीं किया गया है।

अपीलांत द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया है कि है ग्राम ख्याला के खसरा नम्बर 108, 178, 179, 182, 190, 210, 232, 236, 6, 60, 61, 62, 78 में रकबा कमश: 1.0679, 3.3331, 3.7942, 6.5772, 4.1340, 9.9992, 3.1551, 2.265, 6.4235, 0.0566, 0.1133, 6.9817, 6.0513 हैक्टियर कुल 53.0513 हैक्टियर भूमि अपीलांत की खातेदारी भूमि है और खसरा नम्बर 4, 5, 18, 19, 146, 147 व 181 में रकबा कमश: 148-10, 156-05, 137-03, 13-3, 77-00, 6-16, 89-00 बीघा भूमि अपीलांत की खातेदारी भूमि के लगती हुई राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांत के खातेदारी खेत का कोई सीमाज्ञान नहीं किया गया है इसलिए अपीलांत ने मौके पर फसल की सुरक्षा के लिए तारबंदी करवायी थी। अपीलांत द्वारा राजकीय भूमि पर कोई काशत नहीं की गई है। अपीलांत के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.204 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोजेण्ट के द्वारा कथन किया गया है कि अपीलांत के द्वारा ग्राम ख्याला के खसरा नम्बर 4, 5, 18, 19, 146, 147 व 181 में रकबा कमश 30, 10, 20, 10, 20, 06 व 80 कुल 176 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जिस संबंध में आलोच्य निर्णय रेस्पोजेण्ट द्वारा उन्हें प्राप्त अधिकारों के तहत पारित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है।
उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवादग्रस्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांत का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक एवं अधिकार निहित होने के कोई साक्ष्य दस्तावेज अपीलांत द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने के कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय यथावत रखा जाता है।
उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
आदेश आज दिनांक 20.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




जिला कलक्टर,
जयपुर
जैसलमेर